2

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57 / 2024	20.12.2024	30.05.2025

श्रीफल पुत्र गुल्ला, गुर्जर निवासी हिगोंटिया तह0 गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. लक्खी पुत्र श्योचंद, गुर्जर निवासी हिंगोटिया तह0 गंगापुर सिटी
2. सरदार पुत्र श्योचंद, गुर्जर निवासी हिंगोटिया तह0 गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 130 रकबा 0.90 है0 ग्राम हिंगोटिया प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि है। इससे लगती हुई पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि ख0न0 128 रकबा 1.50 है0 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। विवादित सीमा को नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है। दिनांक 30.11.2024 को पटवारी हल्का ने मौके पर मौजूद लोगो की उपस्थिति मे प्रार्थी को अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराया। जिसके अनुसार प्रार्थी भूमि पर काबिज है। इसके बाद भी अप्रार्थीगण भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिनां विवाद करते रहते है एवं धमकी देते है कि हम किसी सीमाज्ञान को नही मानते है। हम हमारी सीमा से लगती हुई तुम्हारी भूमि मे छान, छप्पर या टीनशेड चढाकर कब्जा कर लेगे फिर देखते है कि हमें कौन हटाता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 130 रकबा 0.90 है0 ग्राम हिंगोटिया की पश्चिमी दिशा की ओर सीमा जो अप्रार्थीगण की भूमि ख0न0 128 से लगती हुई है एवं जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से [illegible] अभिभाषक उपस्थित हुए, बार बार समय लेने पर भी जबाब [illegible] इसलिए अप्रार्थीगण का जबाब बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 350, 357, फोटोकॉपी नकल फर्द [illegible] का रिपोर्ट दिनांक 30.11.24, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हिगोंटिया प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:11:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस पर कहा कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 350 ग्राम हिगोटियां के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 130 वादी की खातेदारी में दर्ज है। नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 30.11.2024 के अनुसार प्रार्थी को इस भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण इस सीमाज्ञान को नहीं मान रहे है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं नाहीं कोई ऐसी तथ्य प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की स्थिति बनती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0नं0 130 रकबा 0.90 है0 ग्राम हिगोटियां तहसील गंगापुर सिटी पर पत्थरगढी क़रावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:41:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)